



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट 2022-2023

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का

भाषण

फरवरी 1, 2022

विषय सूची
भाग-क

	पृष्ठ सं.
• प्रस्तावना	1
• पीएम गतिशक्ति	4
• समावेशी विकास	7
• उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्य	16
• निवेशों का वित्तपोषण	25
• राजकोषीय प्रबंधन	30

भाग-ख

प्रत्यक्ष कर	31
• नए अद्यतनीकृत विवरणी का चयन शुरू करना	
• सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर कम की गई	
• दिव्यांगजनों को कर राहत	
• राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता	
• स्टार्ट अप के लिए प्रोत्साहन	
• नव निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन	
• वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम	
• विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन	
• आईएफएससी को कर प्रोत्साहन	
• अधिभार का यौक्तिकीकरण	
• कारोबारी व्यय के रूप में 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' के संबंध में स्पष्टीकरण	
• कर-वंचन की रोकथाम	
• टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना	

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में असाधारण प्रगति
- विशेष आर्थिक जोन
- सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में परिवर्तन
- परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं
- सीमा शुल्क छूट एवं प्रशुल्क सरलीकरण की समीक्षा
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- रत्न एवं आभूषण
- रसायन
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
- निर्यात
- ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क उपाय

अनुबंध

भाषण के भाग-क के अनुबंध

- पीएम डिवाइज के तहत परियोजनाओं की आरंभिक सूची 43
- बजटेतर संसाधनों का विवरण (सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड, एनएसएसएफ ऋण और अन्य संसाधन) 44

बजट 2022-2023

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री का भाषण

1 फरवरी, 2022

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं वर्ष 2022-2023 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

प्रस्तावना

1. आरंभ में, मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहती हूँ जिन्होंने महामारी के दौरान प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को झेला है।
2. समग्र रूप से, अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना तथा पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, यह सभी बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
3. मैं यह मानती हूँ कि हम ओमीक्रॉन लहर के बीच में हैं, इस समय इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, परन्तु इसके लक्षण मामूली हैं। इसके अलावा, हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने इसमें काफी मदद की है। विगत दो वर्षों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार के कारण, हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे।
4. माननीय अध्यक्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत @100 पर पहुँचेंगे। माननीय प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत @100 के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है।

5. हमारी सरकार का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- सूक्ष्म आर्थिक स्तर-समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना,
- डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य-योजना को बढ़ावा देना तथा
- सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना ।

6. वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेषरूप से गरीबों तथा हाशिये पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न-समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को उनकी इच्छानुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

7. इस बजट में भारत @75 से भारत @100 तक के अमृत काल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 2021-22 के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण तथा राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है, इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियों को दर्शाया गया है। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा।

8. गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं
9. स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना तथा महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्र व्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है।
10. आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन को उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, इनमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है।
11. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है। एलआईसी के सार्वजनिक निर्गम के जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
12. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
13. माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधान में बहुत अधिक वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। पूरे वर्ष के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन किया है, इससे हमारे आर्थिक उत्थान को अत्यधिक लाभ मिलता रहा है।
14. इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रखा गया है। इसके लिए (1) अमृत काल जो भविष्य के अनुरूप और समावेशी है, जिससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा

पहुँचेगा और (2) आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो 100 सालों के भारत के लिए होगा, के लिए बड़े सार्वजनिक निवेश समानान्तर व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसे पीएम गतिशक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसे बहु-विध दृष्टिकोण के साथ समन्वय से फायदा पहुंचेगा। इस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए, हम निम्नलिखित चार प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं :

- पीएम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, और जलवायु कार्य योजना
- निवेशों का वित्तपोषण

पीएम गतिशक्ति

15. पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन सात इंजनों से होता है जोकि इस प्रकार हैं - सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये सातों इंजन एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल एवं जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती हैं। अंततः इस उपागम को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास - जोकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों का मिलाजुला प्रयास होता है - से शक्ति मिलती है जिसके परिणामस्वरूप भारी तादात में नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सभी के लिए, विशेष तौर पर युवकों के लिए उद्यम के अवसर पैदा हो सकते हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना

16. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन, निर्बाध बहु विध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता शक्ति है।

इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसका ध्यान प्लानिंग, नवोन्मेषी तरीकों से वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर केन्द्रित होगा।

17. राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ी जाएंगी। मास्टर प्लान की खासियत विश्वस्तरीय आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों और वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों, और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक्स समन्वय करना होगा। इससे उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन

18. वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का अधिक तेज मूवमेंट हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 कि.मी. जोड़े जाएंगे। वित्तपोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सम्पूर्ण किया जा सके।

वस्तुओं और लोगों का निर्बाध बहु विध मूवमेंट

19. सभी माध्यमों के आपरेटरों को डाटा एक्सचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए अभिकल्पित, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) पर लाया जाएगा। इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तुओं के कुशल मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स लागत और समय कम करने, यथासमय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सहायता करने, और उबाऊ दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, इससे सभी हितधारकों को रीयल टाइम सूचना उपलब्ध होगी, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। यात्रियों की निर्विघ्न यात्रा के लिए समान को लाने-लेजाने के लिए ओपेन स्रोत की सुविधा भी दी जाएगी।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क

20. वर्ष 2022-23 में पीपीपी पद्धति में चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी।

रेलवे

21. रेलवे पार्सलों के निर्विघ्न आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक और रेलवे को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ रेलवे छोटे किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा।

22. स्थानीय कारोबार तथा आपूर्ति श्रृंखला की सहायता करने के लिए एक स्थान-एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

23. आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 कि.मी. के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा जोकि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वन्दे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा जोकि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होंगी।

24. अगले तीन वर्षों के दौरान 'मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स' सुविधाओं के लिए एक सौ 'पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स' तैयार किए जाएंगे।

सार्वजनिक शहरी परिवहन, रेलवे से संपर्क समेत

25. बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्तपोषण और इसके तीव्र क्रियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच 'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी' के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी।

मेट्रो सिस्टम की डिजाइन, जिसमें सिवल स्ट्रक्चर भी आते हैं, में पुनः सुधार किया जाएगा और उनको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक स्तर का बनाया जाएगा।

पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम

26. जैसा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प जोकि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, को वरीयता दी जा रही है, 'पीपीपी मोड' के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य 'कनेक्टिविटी' में सुधार लाना है और आने-जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना है जोकि पर्यावरण को बढ़ावा देने के अलावा है। इसमें सघन आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जहां कि परंपरागत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 में 08 रोपवे परियोजनाओं, जिनकी कुल लंबाई 60 किमी. होगी, के लिए ठेके दिए जाएंगे।

अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माण

27. क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी 'इन्फ्रा एजेंसियों' की कार्य क्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग (जिसमें नवीन तरीके भी शामिल हैं) और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

समावेशी विकास

कृषि

28. रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा।

29. देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के पांच किमी. चौड़े कोरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
30. वर्ष 2023 को 'राष्ट्रीय कदन्न वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है। इसमें फसलोंपरान्त मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन्न उत्पादों की राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी।
31. तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी।
32. किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएँ प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ-साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टैकहोल्डर्स, जोकि एग्रीवेल्यू चैन के होंगे, शामिल होंगे।
33. कृषि फसलों का आकलन करने, भू-दस्तावेजों का डिजिटल इजेशन करने, कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए 'किसान ड्रॉन्स' के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
34. राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें जिससे कि प्राकृतिक, जीरो-बजट और आर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
35. मिश्रित पूंजीयुक्त एक कोष, जोकि सह-निवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया गया होगा, के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्ट-अप्स, जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे, को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्ट-अप्स

के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ को सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना और प्रौद्योगिकी, जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है, जैसे कार्य आएँगे।

केन बेतवा परियोजना और अन्य रीवर लिंकिंग परियोजनाएं

36. 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

37. पांच रीवर लिंक्स यथा दमनगंगा-पिनजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी के ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। एक बार लाभानुभोगी राज्यों में इनपर सहमति हो जाती है तो केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी कर देगी।

खाद्य प्रसंस्करण

38. फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई की यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी।

एमएसएमई

39. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ये ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव, ऑर्गेनिक डाटाबेस होंगे और ये जी2सी, बी2सी

और बी2बी सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती से जोड़ा जाएगा और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना तथा सभी के लिए उद्यमपरक अवसर बढ़ाना होगा।

40. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे उनको इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। हॉस्पिटलिटी और इससे संबंधित सेवाओं, विशेषकर जोकि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के द्वारा दी जाती है, को अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर तक अपने कारोबार को ले जाना है। इन संदर्भों पर विचार करने के पश्चात ईसीएलजीएस को मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और हॉस्पिटलिटी और इससे संबंधित उपक्रमों के लिए अन्य रूप से अतिरिक्त सहायता निर्धारित की जा रही है।

41. अपेक्षित धन लगाकर 'क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) स्कीम' को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

42. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 'रेजिंग एण्ड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएमपी) प्रोग्राम' को शुरू किया जाएगा इससे एमएसएमई क्षेत्र और अधिक प्रतिरोधन क्षमता से युक्त, प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम होगा।

कौशल विकास

43. कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ भागीदारी को नई दिशा दी जा सकेगी जिससे कि कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा और इनमें स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी।

'नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)' को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

44. डिजिटल ईकोसिस्टम फोर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड्स द डीईएसएच-स्टेक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से हासिल कर सकें या अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत एपीआई आधारित ट्रस्टेड स्किल क्रेडेन्सियल्स प्रदान किए जाएंगे और उसी के अनुसार भुगतान भी किया जाएगा तथा उनको नए 'डिस्कवरी लेअर्स' प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वे यथोचित रोजगार और उद्यमितापरक अवसर का लाभ प्राप्त कर सकें।

45. विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के माध्यम से 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा प्रदान करने और ड्रोन-एएस-ए-सर्विस (डीआरएएस) के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआईज में कौशल विकास के लिए अपेक्षित पाठ्यक्रमों को चलाया जाएगा।

गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभोमीकरण

46. इस महामारी से बाध्य होकर स्कूलों को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, को लगभग दो वर्ष की औपचारिक शिक्षा से बंचित होना पड़ा है। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से पीएम ई विद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्य 1-12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

47. व्यवसायी पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए, वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी।

48. इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीवी और रेडियो पर डिजिटल टीचरों के माध्यम से वहां की बोली जाने वाली भाषा में उच्च गुणवत्ताप्रद ई-कन्टेंट तैयार किया जाएगा और उसे प्रदान किया जाएगा।

49. अध्यापकों को गुणवत्ताप्रद ई-कन्टेंट तैयार करने में शिक्षण के डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाने और सुसज्जित करने और बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धापरक तंत्र की स्थापना की जाएगी।

डिजिटल विश्वविद्यालय

50. देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर वैयक्तिकीकृत अधिगम अनुभव के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

51. 'नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम' के लिए एक ओपेन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कन्सेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जायेगा।

नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम

52. इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक 'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटरों का एक नेटवर्क होगा जिसमें एनआईएमएचएएनएस एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - बंगलूरु (आईआईआईटीबी) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0

53. नारी शक्ति को हमारे उज्ज्वल भविष्य के एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए और इस अमृतकाल के दौरान हमारे महिला आधारित विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। तदनुसार, तीन योजनाएं यथा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नयी जनरेशन की आंगनवाड़ियां हैं जिनके पास बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य सहायता सामग्री मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से सम्पन्न भी किया गया है और वे बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए उन्नत परिवेश भी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समुन्नत किया जाएगा।

हर घर, नल से जल

54. 'हर घर, नल से जल' के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 सालों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

सभी के लिए आवास

55. वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में पीएमएवाई के अभिज्ञात व पात्र लाभानुभोगियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

56. केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रकार की भूमि और निर्माण से संबंधित अनुमोदन में लगने वाले समय में बचत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। हम वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ भी मिलकर काम करेंगे जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके।

प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीटिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (पीएम-डीईएआईएनई)

57. उत्तर-पूर्व परिषद के माध्यम से 'प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीटिएटिव फोर नॉर्थ ईस्ट रीजन (पीएम-डीईएआईएनई)' नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर-पूर्व की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जा सकेगा। इससे युवकों और महिलाओं के आजीविका संबंधी क्रियाकलाप सुलभ हो सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। यह कोई केंद्र या राज्य की वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होगी। जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं लेकिन प्राथमिकता केवल उन्हीं को दी जाएगी जोकि राज्यों के द्वारा लायी गयी होंगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आबंटन किया जा रहा है और इन परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

महत्वाकाक्षी ब्लाक्स कार्यक्रम

58. देश के अत्यन्त दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह महत्वाकाक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। इन 112 जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है। वे राज्यों के औसत मूल्य को भी पार कर गए हैं। हांलाकि इन जिलों के कुछ ब्लाक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं जिलों के ऐसे ही ब्लॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम

59. सीमावर्ती गांव, जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं, विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गांव को इस नए 'वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया जाएगा। यहां के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए 'डाइरेक्ट टू होम एक्सेस' की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य आएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला दिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनको लगातार मॉनीटर भी करेंगे।

किसी भी समय कहीं भी डाकघरों में बचत

60. 2022 में शत प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे 'फाइनेंसियल इन्क्लूजन' संभव होगा और नेटबैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा, यहां मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम की सुविधा भी होगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र

में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटर-ऑपरेबिलिटी और फाइनेंशियल इंकलूजन' की सुविधा उपलब्ध होगी।

डिजिटल बैंकिंग

61. हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेण्ट्स और फिनटेक जैसे अभिनवीन कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ 'यूजर फ्रेंडली' ढंग से देश के कोने कोने तक पहुंच सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग युनिट्स (डीबीयूएस) की स्थापना की जायेगी।

डिजिटल पेमेंट्स

62. पिछले बजट में 'डिजिटल पेमेंट्स इको-सिस्टम' के लिए वित्तीय समर्थन की जो घोषणा की गई थी वह 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफोर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा जोकि इकोनोमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है।

उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर (Sunrise Opportunities), ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्य

उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एवं ईज ऑफ लिविंग

63. पिछले दो वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया है और 1486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। 'मिनिमम गवर्नमेण्ट एण्ड मैक्सिमम गवर्नेन्स' यह सरकार की उस मजबूत प्रतिबद्धता का परिणाम है जिसके तहत वह 'मिनिमम गवर्नेश एंड मैक्सिमम गवर्नेश', लोक में जनता में हमारा विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति समर्पित है।

64. इस अमृत काल में ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस ईओडीबी 2.0 और ईज ऑफ़ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के अपने प्रयास में 'राइट टू नो' के स्थान पर 'नीड टू नो' के सिद्धान्त का और साथ ही साथ 'विश्वास आधारित शासन' (ट्रस्ट वेस्ट गवर्नेंस) के सिद्धान्त का पालन करेंगे।

65. इस नए फेस की दिशा राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मानव प्रक्रिया और हस्तक्षेप के डिजिटाइजेशन, आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए सिंगल प्वाइंट एक्सेस और मानकीकरण से तथा परस्पर व्यापी अनुपालन के समापन से निर्धारित होगी। जनता से सुझाव को प्राप्त करने और इसके प्रभाव का आधारभूत स्तर पर आंकलन करने के साथ-साथ नागरिकों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्रीन क्लियरेंसेस

66. ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए 'पीएआरआईवीएसएच' (परिवेश) नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल को 2018 में चालू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और आगे बढ़ाया जाएगा। जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सके। 'ईकाइयों' की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे एक सिंगल फोर्म के माध्यम से सभी चारों अनुमोदनों के लिए आवेदन किया जा सकेगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर-ग्रीन (सीपीसी-ग्रीन) प्रक्रिया की ट्रैकिंग की जा सकेगी।

ई-पासपोर्ट

67. 2022-23 में इम्बेडेड चिप और भावी प्रोद्योगी का प्रयोग करके ई-पासपोर्ट्स जारी किया जाने लगेगा जिससे कि यहां के नागरिकों को अपनी विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी।

शहरी विकास

68. उस समय जब भारत 100 साल का हो जाएगा तो संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा जिसमें जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं इसके लिए जहां एक ओर हमें मेगा सिटीज के पोषण की जरूरत है आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक विकास के वर्तमान केन्द्रों के रूप में विकसित करने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें टायर-2 और टायर-3 शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने शहरों को जीवन के दीर्घकालिक रास्तों के केंद्र के रूप में देखें जिसमें सभी के लिए विशेषकर महिला और युवकों के लिए अवसर उपलब्ध हों। ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन का सामान्य दृष्टिकोण (बिजनेस एज यूजअल एप्रोच) से चलना संभव नहीं है। हमें मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए योजना बनानी है।

69. शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन, प्रशासन के बारे में सिफारिशें करने के लिए प्रतिष्ठित शहरी नियोजकों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

राज्यों को शहरी नियोजन में सहायता

70. शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। भवन संबंधी उपनियमों के आधुनिकीकरण टाउन नियोजन योजनाएं और परिवहन उन्मुखी विकास लागू किया जाएगा। इससे जन परिवहन व्यवस्थाओं के साथ लोगों के रहने और निकटता से कार्य करने संबंधी सुधार होंगे। सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और अमृत योजना के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का लाभ कार्य योजनाओं को तैयार करने और

उनका कार्यान्वयन करने और राज्यों द्वारा टाउन नियोजन योजनाएं और परिवहन उन्मुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

71. शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में अभिहित किया जाएगा। इन केंद्रों को प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपए की दाय निधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम, गुणवत्ता सुधारने तथा अन्य संस्थाओं में शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की सुलभता के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी।

स्वच्छ और धारणीय आवागमन

72. हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के रूपांतरण को बढ़ावा देंगे। इसे स्वच्छ तकनीकी और शासन समाधानों, विशेष शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और ईवी वाहनों के साथ आवागमन जोन द्वारा संपूरित किया जाएगा।

बैट्री अदला-बदली नीति

73. बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए, एक बैट्री अदला-बदली नीति लायी जाएगी तथा अंतर प्रचालनीय तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को 'एक सेवा के रूप में बैट्री अथवा ऊर्जा' के लिए धारणीय और नव-प्रवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारितंत्र की प्रभावकारिता में सुधार होगा।

भू-अभिलेख प्रबंधन

74. भू-संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुकर और कारगर बनाने के लिए

यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची VIII की भाषाओं में से किसी में भू-अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी।

75. 'एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर' के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण अथवा लिंकेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के 'कहीं भी रजिस्ट्रीकरण' को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

76. समाधान प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाने तथा सीमापार दिवाला समाधान को सुकर बनाने के लिए इस संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

त्वरित कारपोरेट समापन

77. नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब, पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कारपोरेट समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा और गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने के लिए स्थापित किया जाएगा।

सरकारी खरीद

78. हाल ही में सरकारी नियमों को अमृत काल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुटों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदण्डों के उपयोग को अनुमति देते हैं। चालू बिलों के 75 प्रतिशत के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

79. पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने, एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णतः कागज रहित, एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।

80. सप्लायरों और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए, बैंक गारंटी के लिए एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बांडों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकतेगे। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनायी है।

एवीजीसी प्रोत्साहन कार्य बल

81. एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गैमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

दूर संचार क्षेत्र

82. सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, संवृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा।

83. डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लांच की जाएगी।

84. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रांडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए, वैश्विक सेवा बाध्यता निधि के तहत वार्षिक संग्रह के 5 प्रतिशत तक आबंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकीयों और समाधानों के अनुसंधान और विकास तथा वाणिज्यकरण को बढ़ावा मिलेगा।

85. हमारा विजन यह है कि सभी ग्राम और उनके निवासियों को ई-सेवाओं की समान पहुंच, संचार सुविधाएं और शहरी क्षेत्रों और उनके निवासियों के रूप में डिजिटल संसाधन प्राप्त होने चाहिए। दूर-दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत ठेके दिए जाएंगे। इसके 2025 में पूरा हो जाने की संभावना है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे।

निर्यात संवर्धन

86. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नये विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो राज्यों को 'उद्यमों और सर्विस हबों के विकास' में भागीदार बनने के लिए समर्थ होंगे। इसमें उपलब्ध अवसंरचना को इष्टम रूप से उपयोग करने तथा निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक एनक्लेव शामिल होंगे।

रक्षा में आत्मनिर्भरता

87. हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक उद्दिष्ट किया जाएगा।

88. रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रैला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

उदीयमान अवसर

89. कृत्रिम सतर्कता, भू-स्थानिक तंत्र और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका पारितंत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जेनोमिक्स तथा फार्मासिटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, और स्वच्छ आवागमन तंत्रों में बड़े पैमाने पर धारणीय विकास की सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की भारी संभावना है। ये युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

90. सहायक नीतियां, सरल विनियमों, घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए सुविधापरक कार्यों और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने जैसे कार्यों से सरकार के दृष्टिकोण को दिशा-निर्देशित किया जाएगा। इन उदीयमान अवसरों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए, शिक्षा जगत, उद्योग और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा सरकारी अंशदान प्रदान किया जाएगा।

ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्य

91. जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत नवम्बर में ग्लासगो में संपन्न हुए कोप 26 शिखर सम्मेलन में कहा था, “आज किसकी आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य है और

अविवेकी तथा विनाशकारी उपभोग की बजाय उपयोग पर विचार करना है”। ‘पंचामृत’ में यथा प्रतिपादित निम्न कार्बन विकास रणनीति जो उन्होंने घोषित की, धारणीय विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ कटिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है।

92. यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और देश को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाएगी। तदनुसार, इस बजट में अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य प्रस्तावित हैं।

सौर ऊर्जा

93. 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280जीडब्ल्यू के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलीकॉन से पूर्णतः समेकित विनिर्माण एककों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा।

वृत्ताकार अर्थव्यवस्था

94. वृत्ताकार अर्थव्यवस्था संक्रमण के उत्पादकता बढ़ाने तथा नए व्यवसायों तथा रोजगारों के लिए बड़े अवसर सृजित करने में सहायता करने की संभावना है। 10 सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, बाहनों की अवधि समाप्ति, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट, और विषैले और घातक औद्योगिक अपशिष्ट के लिए कार्य योजनाएं तैयार हैं। अब, अवसंरचना, प्रतिलोमी संभारतंत्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण के मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। इसे विनियमनों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रूपरेखा और नवप्रवर्तनकारी सुविधाकरण को कवर करते हुए सक्रिय जन नीतियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा।

कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण

95. 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पेलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 38 एमएमटी कार्बन डाई ऑक्साइड की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे।

96. ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः ऊर्जा ईफिशियन्सी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण एनर्जी ऑडिट के लिए जारूगता कार्यनिष्पादन संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।

97. उद्योग के लिए कॉल गैसीफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगी।

98. कृषि वानिकी तथा निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत तथा अपेक्षित विधायी परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जो कृषि वानिकी करना चहे, के किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

निवेशों का वित्तपोषण

सार्वजनिक पूंजी निवेश

99. पूंजीगत निवेश अपने प्रवर्धक प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारणीय आर्थिक पुनरुत्थान एवं समेकन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पूंजीगत निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में, बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई से विनिर्मित निविष्टियों के लिए बढ़ी हुए मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है, और बेहतर कृषि-अवसंरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था ने उच्च ग्रोथ के साथ

महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यन्त सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि, हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है।

100. जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है।

101. उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए एकबार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।

कारगर पूंजीगत व्यय

102. राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान के साथ-साथ निवेश के चलते केंद्र सरकार का 'कारगर पूंजीगत व्यय' 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा जोकि जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा।

ग्रीन बांड्स

103. 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलेसिले में सॉवरेन ग्रीन बांड्स जारी किए जाएंगे जिनसे हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इन्टेन्सिटी को कम करने में सहायका हों।

जीआईएफटी-आईएफएससी

104. विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जीआईएफटी शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में अपने पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल आईएफएससीए द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा। इससे सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

105. जीआईएफटी शहरों में अंतरराष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा।

106. देश में सतत एवं महौल के अनुरूप वित्तपोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं जीएफआईटी शहरों में दी जाएंगी।

अवसंरचना की स्थिति

107. डेंस चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैट्री सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भण्डारण के लिए क्रेडिट सुलभ हो सकेगा।

उद्यम पूंजी और निजी ईक्विटी निवेश

108. उद्यम पूंजी और निजी ईक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था जिससे स्टार्ट-अप और विकास के एक बहुत बड़े इको-सिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इस तरह की जांचपरख करके उचित उपाय सुझाएगी।

सम्मिश्रित वित्त

109. सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स एनआईआईएफ और फंड्स के 'सिडबी' फंड से अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई है जिसके बहुआयामी प्रभाव देखने में आए हैं। प्रमुख उदीयमान क्षेत्रों जैसे कि क्लाउडमेट एक्शन, डीपटेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सम्मिश्रित वित्तपोषण के लिए उद्देश्यपरक धन उपलब्ध कराएगी। जिसमें सरकार का हिस्सा 20 प्रतिशत तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाएं

110. अवसंरचना की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी निवेश में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी भी मिलायी जाए। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के साथ-साथ दूसरी परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञानपरक सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इनकी वित्तीय संभावना को बढ़ाने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा, वित्तपोषण के नए रास्ते अपनाने होंगे तथा संतुलित जोखिमपरक आबंटन किया जाना होगा।

डिजिटल रुपया

111. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लाक चेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपए को चालू करने का विचार है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

112. सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करने के लिए, केंद्र सरकार राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है जिससे कि वे उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन और लाभप्रद रोजगार पैदा करने के लिए अपने पूंजी निवेश को बढ़ा सकें। 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' का सभी राज्यों ने बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

113. वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं।

114. इस प्रकार के आवंटन का प्रयोग पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पादपरक पूंजी निवेश में किया जाएगा इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक भी शामिल होंगे:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्से के लिए पूरक वित्तपोषण जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है,
- अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण जिसमें डिजिटल पेमेंट और ओएफसी नेटवर्क को पूरा किए जाने की बात भी शामिल है, और
- भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन स्कीमों, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास और अंतरणीय विकास अधिकार से संबंधित सुधार।

115. वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है।

राजकोषीय प्रबंधन

116. बजट अनुमान, 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.03 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें एयर इंडिया की बकाया गारंटीशुदा देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 51,971 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

117. बजट अनुमान की ओर देखा जाए तो 2022-23 में कुल व्यय अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई हैं।

118. चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4 प्रतिशत है जोकि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है जिसकी मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे ला दिया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय मैं सरकारी निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण की जरूरत के प्रति सजग हूँ जिससे कि हम और मजबूत और टिकाऊ बन सकें।

अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूँ।

भाग-ख

प्रत्यक्ष कर

119. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर देश के सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने अत्यधिक सहयोग दिया है और जरूरत की इस घड़ी में अपने साथी नागरिकों की सहायता करके सरकार के हाथों को मजबूत किया है।

दापयित्वाकरंधर्म्यराष्ट्रानित्यंथाविधि।

अशेषान्कल्पयेद्राजायोगक्षेमानतन्द्रितः॥११॥

dāpayitvākaraṁdharmyamrāṣṭranityamyathāvidhi |

aśeṣāṅkalpayedrājāyogakṣemānatandritaḥ ||

“राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ-साथ, राज धर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योगक्षेम (कल्याण) के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए।”

महाभारत, शांति पर्व, अध्याय 72, श्लोक 11

120. अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। इस बजट के प्रस्तावों का अभिप्राय, स्थिर और जानी-पहचानी कर व्यवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए, और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके। यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा, और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

नई 'अद्यतनीकृत विवरणी' का चलन शुरू करना

121. भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग एक से अधिक वित्तीय लेनदेन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने करदाता के अंतरणों की रिपोर्टिंग का एक सशक्त ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर अदायगी के लिए अपनी आमदनी का ठीक-ठीक आकलन करने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए मैं अतिरिक्त कर की अदायगी करके **अद्यतन विवरणी** दाखिल करने के लिए करदाताओं को अनुमति देने के एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अद्यतन विवरणी संगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है।

122. वर्तमान में, यदि विभाग को यह पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा कुछ आमदनी को दर्शाया नहीं गया है तो वह न्याय-निर्णयन की लम्बी प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बजाय, अब इस प्रस्ताव से, करदाताओं में भरोसा जगेगा जिससे निर्धारिती स्वयं उस आमदनी को घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में अपनी विवरणी दाखिल करते समय उन्होंने नहीं दर्शाया था। प्रस्ताव के पूर्ण विवरण वित्त विधेयक में दिए गए हैं। यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर कम की गई

123. वर्तमान में, सहकारी समितियों के लिए अपेक्षित है कि वे साढ़े अठारह प्रतिशत की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करें। हालांकि, कंपनियां इस कर का पन्द्रह प्रतिशत की दर पर भुगतान करती हैं। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए, मैं सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर पन्द्रह प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।

124. मैं उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है।

125. इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो मुख्यतः ग्रामीण और खेती करने वाले समुदायों से आते हैं।

दिव्यांगजनों को कर राहत

126. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता-पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिदाता यानी माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो।

127. ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की जरूरत पड़े। मैं इसलिए माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।

राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता

128. वर्तमान में, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टीयर-1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए, मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर

कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी।

स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन

129. स्टार्ट-अप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, देश ने कामयाब स्टार्ट-अप्स की संख्या में कई गुनी वृद्धि देखी है। 31.03.2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्ट-अप्स को निगमन से दस वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए, मैं ऐसा कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि और एक वर्ष यानी 31.03.2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

नव-निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन

130. कतिपय घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नव-निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। मैं धारा 115खकख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को एक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम

131. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारम्बारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। तदनुसार, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए, मैं इस बात

का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूँ कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा।

- अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का परिकलन करते समय किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए, मैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक, ऐसे प्रतिफल पर 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्ताव करती हूँ।
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन

132. यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुस्त-दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूँ कि यदि किसी निर्धारिती के मामले में कानून का एक प्रश्न, किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है तो विभाग द्वारा इस निर्धारिती के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए आस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारंबार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी।

आईएफएससी को कर प्रोत्साहन

133. आईएफएससी को आगे और बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, मैं एतद्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ कि अपतटीय व्युत्पन्नी लिखतों, या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नियों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी, विशिष्ट शर्तों के अधीन, कर से मुक्त होगी।

134. अधिभार का यौक्तिकीकरण

- वैश्विकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य संविदाएं होती हैं जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ (कंसोर्टियम) का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्टियम के सदस्य सामान्यतया कंपनियां होती हैं। ऐसे मामलों में इन एओपी की आमदनी पर 37 प्रतिशत तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो अलग-अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना में काफी अधिक है। तदनुसार, मैं इन एओपी के अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15 प्रतिशत का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो 37 प्रतिशत तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस कदम से स्टार्ट-अप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करता है।

कारोबारी व्यय के रूप में 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' के संबंध में स्पष्टीकरण

135. आयकर कारोबारी आय की संगणना के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ-साथ अधिभार भी शामिल हैं। 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' विनिर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है। परंतु, कुछ न्यायालयों ने 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया है जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करती हूँ कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

कर-वंचन की रोकथाम

136. वर्तमान में, तलाशी कार्रवाइयों में पता लगे अप्रकट आय के संबंध में हानि को आगे ले जाकर समंजित करने के संबंध में अस्पष्टता है। यह पाया गया है कि अनेक मामलों में, जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है तो हानि के प्रति समंजन करके कर के भुगतान से बचा जाता है। निश्चितता लाने और कर-वंचकों में निवारक भय बढ़ाने के लिए मैं यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

137. यह देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्यनीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंटों को हितलाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हितलाभ एजेंटों के हाथों में कर-योग्य होते हैं। ऐसे अंतरणों का पता-ठिकाना रखने के लिए, मैं हितलाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए

उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हितलाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक न हो।

138. कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में असाधारण प्रगति

139. जीएसटी स्वतंत्र भारत का एक ऐतिहासिक सुधार रहा है जो सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। जबकि आसमान छूते अरमान थे, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थीं। इन चुनौतियों से जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यन्त कुशलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक पार पाया गया। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था ने एक बाजार-एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी भी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निराकरण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र हैं। उन्होंने न केवल चुनौतियों के अनुरूप अपने आपको ढाला बल्कि कर अदा करके इस उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक योगदान किया।

विशेष आर्थिक जोन

140. अपने भाषण के भाग क में, मैंने विशेष आर्थिक जोन में प्रस्तावित सुधारों की बात कही है। साथ-साथ ही हम विशेष आर्थिक जोन के सीमाशुल्क प्रशासन में भी सुधार करेंगे और अब से, यह पूरी तरह आईटी चालित होगा और बेहतर सुविधा दिए जाने के साथ और सिर्फ जोखिम-आधारित जांच के साथ सीमाशुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा। इससे

विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा कारोबार करने की सहजता में काफी अधिक सुधार होगा। यह सुधार 30 सितम्बर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।

सीमाशुल्क सुधार एवं शुल्क दर में परिवर्तन

141. सीमाशुल्क प्रशासन ने, कालांतर में उदारीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के समावेशन के माध्यम से अपने आप को नये रूप में प्रस्तुत किया है। फेसलेस सीमाशुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमाशुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। सीमाशुल्क सुधार ने घरेलू क्षमता निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समान अवसर मुहैया किया है, कच्चे माल की आपूर्ति की कठिनाइयों को आसान किया है, कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया है और अन्य नीतिगत पहल जैसे कि पीएलआई और चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के लिए सुविधाप्रदाता बना है। सीमाशुल्क के संबंध में मेरे प्रस्ताव इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं

142. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगुना करना है। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेंगे। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्युत, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फूड प्रोसेसिंग में पूंजीगत वस्तुओं के लिए कई शुल्कगत छूट दी गई हैं। कुछ मामलों में, ये छूट तीन दशक से अधिक समय तक दी गई है। इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को बाधित किया है।

143. इसी तरह, परियोजनागत आयात शुल्क रियायतों ने कोयला खनन परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं, रेल एवं मेट्रो परियोजना जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादकों को लेवल प्लेईंग फील्ड से

भी वंचित किया है। हमारे अनुभव से यह संकेत मिलता है कि तर्कसंगत प्रशुल्क, अनिवार्य आयातों की लागत पर खास असर डाले बगैर, घरेलू उद्योग और 'मेक इन इंडिया' के विकास के लिए अनुकूल हैं।

144. तदनुसार, पूंजीगत वस्तुओं एवं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेंगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है।

145. निविष्टियों, जैसे कि विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछेक छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

सीमाशुल्क छूट एवं प्रशुल्क सरलीकरण की समीक्षा

146. पिछले दो बजटों में हमने कई सीमाशुल्क छूट को युक्तिसंगत बनाया है। हमने एकबार फिर व्यापक विमर्श किया है, जिसमें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से किया गया विमर्श शामिल है, और इन विमर्शों के परिणामस्वरूप 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, मेडिकल उपकरण और ड्रग्स एवं औषधियां शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे, एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें, इन्हें विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित करने के बजाय, सीमाशुल्क प्रशुल्क अनुसूची में ही समाविष्ट की जा रही हैं।

147. इस व्यापक समीक्षा से सीमाशुल्क दर और प्रशुल्क संरचना, विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए, सरल हो जाएंगी और विवाद कम से कम होगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती हैं या की जा सकती हैं उनके लिए छूट हटाने से और अर्धनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी।

148. मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों के बारे में बताऊंगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स

149. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। श्रेणीबद्ध दर संरचना मुहैया करने के लिए सीमाशुल्क की दरों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है ताकि पहनने योग्य उपकरणों, श्रवण उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों के घरेलू विनिर्माण को सहूलियत दी जा सके। मोबाइल फोन चार्जर्स के ट्रांसफार्मर और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कतिपय अन्य वस्तुओं के कल-पुरजों के लिए भी शुल्क में रियायतें दी जा रही हैं। इससे अधिक बढ़ोतरी वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू विनिर्माण संभव हो पाएगा।

रत्न एवं आभूषण

150. रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न-पत्थरों पर सीमाशुल्क कम करके 5 प्रतिशत किया जा रहा है। सिर्फ काटे गए हीरे पर शून्य सीमाशुल्क लगेगा। ई-कॉमर्स के माध्यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प-मूल्यांकित इमिटेशन आभूषण के निर्यात को बढ़ावा न देने के लिए, इमिटेशन आभूषण पर सीमाशुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपए प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए।

रसायन

151. कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण रसायन, नामतः मेथेनॉल, एसीटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमाशुल्क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इन बदलावों से घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

152. छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छातों के कल-पुरजों पर छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में विनिर्मित की जाती हैं। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमाशुल्क छूट और एक वर्ष के लिए दी जा रही है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिल सके। स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड़ और हाई-स्पीड स्टील पर कतिपय डम्पिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूदा उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोक हित में समाप्त किया जा रहा है।

निर्यात

153. निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे कि सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्नर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्दिष्ट चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स, जिनकी हस्तशिल्प, कपड़े और चर्म परिधानों, लेदर फुटवियर और अन्य वस्तुओं के *वास्तविक* निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही है।

154. झींगी जलीय खेती के लिए अपेक्षित कतिपय निविष्टियों पर शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क उपाय

155. ईंधन का सम्मिश्रण इस सरकार की एक प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, असम्मिश्रित ईंधन पर 01 अक्टूबर, 2022 से 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा।

156. शुल्क दरों, सीमाशुल्क प्रशुल्क और सीमाशुल्क कानून में कुछेक अन्य बदलाव किए जा रहे हैं जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं।

157. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ।

बजट भाषण के भाग क का अनुबंध

अनुबंध I

(पैरा 57 देखें)

पीएम डिवाइन के तहत परियोजनाओं की आरंभिक सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1.	पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी (बहु-राज्य) में बाल रोग और वयस्क हीमोटोलिम्फोइड कैंसरों के प्रबंधन हेतु समर्पित सेवाओं की स्थापना	129
2.	नेकटेयर आजीविका संवर्धन परियोजना (बहु-राज्य)	67
3.	पूर्वोत्तर भारत (बहु-राज्य) में वैज्ञानिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा	45
4.	पश्चिम की ओर आईजोल बाईपास का निर्माण	500
5.	सिक्कीम पश्चिम में संग्वा-चौलिंग के लिए पैलिंग हेतु यात्री रोपवे सिस्टम हेतु अंतर - निधियन	64
6.	दक्षिण सिक्किम में धैप्पर से भाले धुंगा तक वातावरण अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए अंतर-निधियन	58
7.	मिजोरम राज्य में विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बांस संपर्क सड़क के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना	100
8.	अन्य (चिन्हित की जानी है)	537
	कुल	1500

बजटेंतर संसाधनों का विवरण (सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स एवं एनएसएसएफ ऋण और अन्य संसाधन)

(₹ करोड़)

भाग-क—सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स जारी करके ईवीआर जुटाए गए:

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 ब.अ.	2021-22 सं.अ.	2022-23 ब.अ.
26	उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (आरआईएसई)	---	---	---	---	---			
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुखा योजना	---	---	---	---	---			
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी	---	---	20000.00	---	---			
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (i) पोलावरम सिंचाई परियोजना (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एकसीलरेटेड इरिगेशन बेनफिट्स प्रोग्राम एवं अन्य परियोजनाएं)	---	---	1400.00	1850.00	2243.20		751.80	
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग (i) (i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2187.00	3105.00	5493.40	1963.30	1922.10			शून्य
71	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत ऑफ ग्रिड/संवितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (ii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	1640.00	---	---	---	---	शून्य		
78	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) परियोजनाएं	340.00	660.00	---	---	---			
79	विद्युत मंत्रालय (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य (ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5000.00	4000.00	13827.00	3782.00	2500.00		751.80	
87	ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	---	7330.00	10678.80	10811	19999.80			
	जोड़	9167.00	15095.00	65602.10	22006.30	26665.10			

भाग-ख—एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई:

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग और निकाय का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 ब.अ.	2021-22 सं.अ.	2022-23 ब.अ.
1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम	70000.00	65000.00	97000.00	110000.00	84636.00	---		
2	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	---	8000.00	---	15000.00	10000.00	---		
3	उर्वरक विभाग घातु एवं खनिज पदार्थ व्यापार निगम	---	---	---	1310.00	---	---	शून्य	शून्य
4	अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को सहायता (कुछ विशिष्ट योजना/परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन की जरूरत को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए)						30000.00		
	जोड़	70000.00	73000.00	97000.00	126310.00	94636.00	30000.00		
	सकल जोड़ (क + ख)	79167.00	88095.00	162602.10	148316.30	121301.10	30000.00	751.80	

टिप्पणियां:

- नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) को इस बात को मंजूरी दी गई है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 7,000 करोड़ तक के गवर्नमेंट फुल्लो सर्विस बान्ड को जारी करके अपने ईबीआर को बचा सकता है जिससे कि एआईएचएल को अंतर्गत किये गये एआई ऋण को पुनः वित्तपोषित किया जा सके।
- रेल मंत्रालय को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेकर ₹10,200 करोड़ (वित्तीय-वर्ष 2018-19 में ₹ 5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,000 करोड़) तक की जरूरत को पूरा कर सकता है। पुनःभुगतान देयता सरकार के सामान्य राजस्वों से वहन की जा रही है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजी समृद्ध बनाने के लिए 2017-18 में ₹80,000 करोड़, 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़ और 2019-20 में ₹65,443 करोड़ लगाये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए 2021-22 में ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वार्तिक योजनाओं से संबंधित देयता का विवरण प्राप्ति बजट 2022-23 के भाग-ख में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में बिना भुगतान हुए वार्तिक देयता की राशि ₹ 38,775.72 करोड़ रही थी।
- इस परियोजना के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में मौजूदा वित्तपोषण व्यवस्थाओं के अनुसार इबीआर जुटाया गया था। भावी वित्तपोषण बजट से पूरा किया जाना है।
